

21⁵/₂₅

पत्रावली पेश। वकील वादी दायीर ।
 पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी
 को अंतिम हितायत की गई थी ।
 कि आगामी पेशी पर तामिल की
 रसीदें पेश करे, अन्यथा आदेश ७ नियम
 ५ के तहत आदेश पारित किया जायेगा
 लेकिन वकील वादी ने आज दिनांक तक
 तामिल की रसीदें पेश नहीं की । अतः
 वादी का वाद आदेश ७ नियम ५ के तहत
 खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल
 नुमार होकर नम्बर से कम होकर
 दाखिल पत्र हो ।

उपकरण अधिकारी
दातारामगढ़ (सीकर)